

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 92/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मालाराम पुत्र राणराम जाति भील निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. तगाराम पुत्र जीवाराम 2. विरमाराम पुत्र जीवाराम 3. पुराराम पुत्र खेताराम 4. करनाराम पुत्र खेताराम 5. गोमाराम पुत्र खेताराम जातियान मेगवाल निवासी सणपा मानजी 6. चुतराराम पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी सणपा मानजी 7. पाचाराम पुत्र रावताराम 8. रायमलराम पुत्र रावताराम 9. रामजीराम पुत्र राणाराम 10. बाबूराम पुत्र राणाराम जातियान भील निवासी सणपा मानजी 11. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री रामजीवन विश्नोई प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 21.06.2023


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी


1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी का खेत मौजा सणपा मानजी पटवार हल्का सणपा के खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 2.8639 हैक्टर किस्म बारानी सोयम खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा सणपा मानजी पटवार हल्का सणपा के खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 2.8639 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा सणपा मानजी पटवार हल्का सणपा के खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 2.8639 हैक्टर किस्म बारानी सोयम आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा सणपा मानजी पटवार हल्का सणपा के खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 2.8639 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा सणपा मानजी पटवार हल्का सणपा के खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 2.8639 हैक्टर किस्म बारानी सोयम प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सणपा मानजी पटवार हल्का सणपा के खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 2.8639 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी